न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 119 / 2023

1. राजाराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 78 आरबी हाल 5 केएलडी कुण्डल तहः खाजूवाला

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री केलाश अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 136 एल. आर.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 03.08.23

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि चक 8 केएलडी का मु0नं0 18 / 21 किला नं0 1,10,11,12,17, 19 ता 23 की 2.4026 है0 अ0क0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जिसपर वादी का आवंटन से ही कब्जा काश्त है व मौका पर वादी ने फसल काश्त की है। वादी ने आवंटन हेतु चक 8 केएलडी के मु0नं0 18 / 21 किला नं0 1,10,11,12,16,17, 19 ता 25 की 2.7819 है0 अ0क0 भूमि हेतु आवेदन किया तथा उक्त भूमि की कीमत 265040 / — भी वादी ने राजकोष में जरिये चालान जमा करवा दिए है तथा आवंटन आदेश भी उक्तानुसार जारी करने आदेश दिए गए थे परन्तु आवंटन आदेश जारी करते समय सहवन से मु0ने0 18 / 21 के किला नं0 16, 24, 25 की भूमि दर्ज नहीं हो सकी जबकि वादी किला नं0 16, 24, 25 की भूमि की कीमत राजकोष में जमा करवा चुका था जिसके बाद वादी उक्त भूमि का आवंटन आदेश प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी था। उक्त भूमि सहवन से आवंटन आदेश में अंकित होने से रह गई इसलिए वादी जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती उक्त मु0नं0 18 / 21 के किला नं0 16,24,25 का खातेदार काश्तकार घोषित होने का विधिक अधिकारी है। वादी आवंटन आदेश में अंकित भूमि की खातेदारी सनद प्राप्त कर चुका है एवं अब वादी आवंटन आदेश में सहवन से रह गई भूमि जिसकी तमाम किश्त वादी राजकोष में जमा करवा चुका है मुताबिक आवंटन आदेश अंकित होने से शेष रही भूमि मु0नं0 18 / 21 के किला नं0 16,24,25 का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने की डिक्री जारी कर वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का विधिक अधिकारी है। इसलिए मु0नं0 18 / 21 के किला नं0 16,24,25 का भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के पक्ष मे मूल आवंटन पत्रावली की नकल व रकबे की समस्त राशि जमा के चालान की छायाप्रति, जमाबंदी पेश की गई है। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पत्रांक 1342 दिनांक 03.08.23 प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 8 केएलडी मु0नं0 18/21 के किला नं0 1,10,11,12,17,19, 21 ता 23 की कुल 2.4026 हैक्टर अ0क0 भूमि राजाराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 78 आरबी तहः रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर खातेदार के नाम दर्ज है व मौके पर कब्जा काश्त है। मु0नं0 18/21 के किला नं0 21 ता 25 मे 3–3 बिस्वा भूमि कटानी मार्ग दर्ज है। मु0नं0 18/21 के किला नं0 16 में 0.2529 है0, किला नं0 24/3 में 0.0632 है0, किला नं0 25/2 में 0.0632 है0 इसप्रकार कुल 0.3793 है0 अ0क0 भूमि अराजीराज दर्ज है व मौके पर खाली है। बहस सुनी गई।

पत्रावली के अवलोकन अनुसार मूल आवंटन पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट मे वादगत रकबा अराजीराज लिखा है एवं इस वादगत रकबे की नियमानुसार राशि चालान प्रति के अवलोकन के अनुसार जमा हो चुकी है। वादगत रकबा के आवंटन के आदेश भी मूल आवंटन पत्रावली की फर्द अहकाम आदेशिका अनुसार हो चुके है किन्तु आवंटन आदेश में उक्त वादगत किला नं0 16,24,25 का रकबा 0.3793 है0 अ0क0 अंकित नहीं हुई है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट व कार्यालय हाजा के संधारित रिकॉर्ड में उपलब्ध उक्त रकबा से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादी मूलआवंटन पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चक 8 केएलडी के मु0नं0 18/21 के किला नं0 16 में 0.2529 है0, किला नं0 24/3 में 0.0632 है0, किला नं0 25/2 में 0.0632 है0 इसप्रकार कुल 0.3793 है0 अ0क0 भूमि अराजीराज के स्थान पर मूल आवंटी/वादी राजाराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 78 आरबी तहः रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के नाम खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। तहसीलदार खाजूवाला मुताबिक आदेश नियमानुसार अमलदरामद की कार्यवाही करें और यदि नियमानुसार कोई राजस्व की हानि होती है या कोई राशि बनती है तो वसूल कर नियमानुसार राजस्व मद में जमा करावें। पर्चा डिक्री कायम हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)